

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी :श्रीमती रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 62/2011

1. रक्षपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति सेनी निवासी अयोहर ढाल निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।
--वादी--

बनाम

1. रश्मेल सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति सेनी निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. हजारा सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति सेनी निवासी 11 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।
4. श्रीमति हरदेव कौर पत्नि जगदीश सिंह जाति सेनी निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।
--प्रतिवादीगण--

अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए

--निर्णय--

दिनांक : 28/2/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2019 की पालना मे तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के द्वारा अपने पत्रांक 386 दिनांक 25.02.2019 से विभाजन प्रस्ताव मय फर्द मौका तथा नक्शा प्रस्तुत किया गया। दोनो पक्षो के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई एवं निवेदन किया कि प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी कर दी जावे तो हमे कोई ऐतराज नही है। दोनो पक्षो के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार चक्र 11 एफएफ वी की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 40 के मु० न० 38 व 43/2 की कुल 3.010 है० नहरी मय खाला भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है-

1. रक्षपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह का हिस्सा:-

चक्र 11 एफएफ वी की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 40 के मु० न० 38 का किला न० 5/1 मे 0.190 है०, किला न० 6/1 मे 0.211 है०, किला न० 15/1 मे 0.211 है०, किला न० 16/2 मे 0.211 है०, किला न० 25/1 मे 0.158 है० कुल 0.981 है० नहरी एवं खाता संख्या 43/2 का 0.021 है० गैरमुमकिन खाला, दोनो खातो का कुल 1.002 है० नहरी मय खाला।

2. रश्मेल सिंह पुत्र जगदीश का हिस्सा:-

चक्र 11 एफएफ वी की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 40 के मु० न० 38 के किला न० 5/2 मे 0.038 है०, किला न० 6/2 मे 0.042 है०, किला न० 15/2 मे 0.042 है०, किला न० 16/2 मे 0.042 है०, किला न० 25/2 मे 0.032 है०, किला न० 4/1 मे 0.152 है०, किला न० 7/1 मे 0.169 है०, किला न० 14/1 मे 0.169 है०, किला न० 17/1 मे 0.169 है०, किला न० 24/1 मे 0.127 कुल 0.982 है० नहरी एवं खाता संख्या 43/2 मे 0.021 है० गैर मुमकिन खाला, दोनो खातों का कुल 1.005 है० नहरी मय खाला।


3. हजारा सिंह पुत्र जगदीश सिंह का हिस्सा:-

चक्र 11 एफएफ वी की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 40 के मु० न० 38 के किला न० 3/2 मे 0.114 है०, किला न० 8/1 मे 0.126 है०, किला न० 13/2 मे 0.126 है०, किला न० 18/1 मे 0.126 है०, किला न० 23/2 मे 0.101 है०, किला न० 4/2 मे 0.076 है०, किला न० 7/2 मे 0.084 है०, किला न० 14/2 मे 0.084 है०, किला न० 17/2 मे 0.084 है०, किला न० 24/2 मे 0.063 है० कुल 0.984 है० नहरी एवं खाता संख्या 43/2 मे 0.021 है० गैरमुमकिन खाला, दोनो खातो का कुल 1.005 है० नहरी मय खाला।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हेतु भिजवाई जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी की गई। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो। रहन बदस्तूर रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28/2/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




[श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस.]
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीपुराणगर)